



21.08.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही
नही चाही जा रही है पुर्व पेशी अनुसार वादी व वादी
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के
उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम
पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफतर हो।



राहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्साजगढ़